

पंचायत समिति काठवाज
काठवाज तालुका, जिला अजमेर
राजस्थान
दिनांक 15/08/2019
पेजी दिनांक 15/08/2019
नियत की जाती है।

18/23

पंचायत काठवाज (पंच) द्वारा जारी की गई
न्यायालय समिति में एक-एक कर-कर
काठवाज लागू की गयी। ना तो वादी का
गौर ना ही अन्य वादी उपलब्ध हुए।
कारण: पंचायत सिविल प्रक्रिया संहिता के
9 नियम 3 (अदम पंचवी अदम हाजरी) के
अंतर्गत खारिज की जाती है। पंचायत
में शुभारंभ हो नम्बर से कम की जाकर
राखिल दफतर है।

Wp.
सुप जिला अजमेर
चीथ का बरकात